[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 23/2017- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 17 अगस्त, **2017**

सा.का.नि. ……….. (अ)—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 997(अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 21/2017-केंद्रीय कर, तारीख 8 अगस्त, 2017 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जी.एस.टी.आर.-3ख में, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख तक, विवरणी देने हेतु उक्त सारणी के स्तंभ (4) में शर्तें विनिर्दिष्ट करते हैं, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं0	**रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग**	**प्ररूप जी.एस.टी.आर.-3ख में विवरणी देने की अंतिम तारीख**	**शर्तें**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उक्त नियमों के नियम 117 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 140 के निबंधनों में इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के हकदार रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किंतु जिन्होंने 28 अगस्त, 2017 को या उससे पहले प्ररूप जी.एस.टी. टी.आर.ए.एन.-1 फाइल न करने का विकल्प चुना है।	20 अगस्त, 2017	…
2.	उक्त नियमों के नियम 117 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 140 के निबंधनों में इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के हकदार रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और जिन्होंने 28 अगस्त, 2017 को या उससे पहले प्ररूप जी.एस.टी. टी.आर.ए.एन.-1 फाइल करने का विकल्प चुना है।	28 अगस्त, 2017	(i) जुलाई, 2017 मास के लिए "उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर" की संगणना करना और 20 अगस्त, 2017 को या उसके पूर्व उक्त नियमों के नियम 87 के उपबंधों के अनुसार उसे नकद में जमा करना ; (ii) जी.एस.टी.आर.-3ख फाइल करने से पूर्व, उक्त नियमों के नियम 117 के उपनियम (1) के अधीन प्ररूप जी.एस.टी. टी.आर.ए.एन.-1 फाइल करना ; (iii) जहां जुलाई, 2017 मास के लिए उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर की रकम, जिसके ब्यौरे प्ररूप जी.एस.टी.आर.-3ख में दी गई विवरणी में हैं, मद (i) के

			अनुसार नकद में जमा किए गए कर की रकम से अधिक है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त नियमों के नियम 87 के उपबंधों के अनुसार 28 अगस्त, 2017 को या उसके पूर्व नकद में ऐसी आधिक्य रकम का, 21 अगस्त, 2017 से ऐसे जमा किए जाने की तारीख तक संगणित ऐसे ब्याज के साथ, जो लागू हो, संदाय करेगा।
3.	कोई अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति	20 अगस्त, 2017	...

2. जी.एस.टी.आर.-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए करों का संदाय – प्ररूप जी.एस.टी.आर.-3ख में विवरणी फाइल करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इलैक्ट्रानिक नकद खाते या इलैक्ट्रानिक जमा खाते में विकलन करके अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के मद्दे अपने दायित्व का निर्वहन करेगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,--

(i) "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की अपेक्षा है ;

(ii) "उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर" पद से जुलाई, 2017 मास के लिए संदेय ऐसे कर, जिसके ब्यौरे प्ररूप जी.एस.टी.आर.-3ख में दी गई विवरणी में दिए गए हैं और इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी रकम, जिसके लिए कर उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित उक्त अधिनियम के अध्याय 5 और धारा 140 के अधीन जुलाई, 2017 मास के लिए वह हकदार हो, के बीच का अंतर अभिप्रेत है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी(पीटी)]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार